रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 1971/कार्तिक 24, 1893
No. 192] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 1971/KARTIKA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th November 1971

SUBJECT.—*Counter-balancing exports to Afghanistan against imports of fresh fruits, dry fruits etc.*

No. 157-ITC(PN)/71.—Attention of importers/exporters is invited to paragraph 10 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/71, dated the 31st July, 1971, which stipulate as follows:

> "The approved importers should ensure that there is no diversion of goods imported from or exported to Afghanistan to third countries. Serious notice will be taken of cases where such diversion takes place."

2. "Tea" and "Silk fabrics and Silk manufactures" have been listed *inter alia*, among the articles which are permitted to be exported to Afghanistan (*vide* Schedule B to the aforesaid Public Notice). It has come to the notice of the Gov-

ernment that certain varieties of Tea and of Silk fabrics and manufactures, exported under Indo-Afghan Trade Arrangement, are being diverted to third countries. This is against the provision of paragraph 10 of the aforesaid Public Notice. The trade is hereby informed that exports to Afghanistan of (a) CTC and/or dust varieties of tea, (b) silk sarees, silk saree cloth, silk carves and (c) Zari and Zari goods will not be permitted, with immediate effect, under the counter-balancing arrangement.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1971

विषय.—ताजे फलों, सुखे फलों आदि के आयातों के प्रतिकूल अफगानिस्तान को निर्यातों का प्रतिसंतुलन।

संख्या 157-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—आयातकों/निर्यातकों का ध्यान विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 93-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 31 जुलाई, 1971 की कंडिका 10 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिस में यह निर्धारित किया गया है कि :—

> "अनुमोदित आयातकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अफगानिस्तान से आयात किए गए या अफगानिस्तान को निर्यात किए गए माल का अपवर्तन तीसरे देश को नहीं होता। ऐसे मामलों में जिन में ऐसा अपवर्तन होगा गम्भीर कार्रवाई की जाएगी।"

2. वे वस्तुएं जो अफगानिस्तान को निर्यात के लिए स्वीकृत हैं उन के साथ ही साथ "चाय" और "रेशमी वस्त्र तथा रेशम-निर्मित वस्तुएं" सूचीबद्ध कर दी गई हैं (देखिए पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की अनुसूची बी)। सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन निर्यात की गई चाय और रेशमी वस्त्र तथा रेशम निर्मित वस्तुओं की कुछ किस्में तीसरे देश को अपवर्तन की जा रही है। यह पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 10 की शर्त के विरुद्ध है। व्यापारियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिसंतुलन व्यवस्था के अन्तर्गत तत्काल समय से (क) चाय की सीटीसी और/या बुकनी किस्मों (ख) रेशमी साड़ियों, रेशमी साड़ियों के कपड़े, रेशमी स्कार्फों और (ग) जरी और जरीमाल के अफगानिस्तान को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971